कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 214/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 06.06.2026

प्रेस नोट, दिनांक 06.06.2026

थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: दो सगी नाबालिग बहनों से दुष्कर्म करने वाला आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

महिला सुरक्षा के प्रति आजमगढ़ पुलिस की तत्परता: दुष्कर्म का आरोपी 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ में गिरफ्तार

महिला एवं बाल अपराध पर जीरो टॉलरेंस: दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

अपराधियों के विरुद्ध आजमगढ़ पुलिस का अभियान जारी, दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.06.2026 को वादिनी मुकदमा ने थाना गम्भीरपुर पर तहरीर दिया था कि उसकी 02 नाबालिग पुत्रियों को विपक्षी मो0 जाहिद उर्फ रुस्तम पुत्र मो0 सफीक निवासी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ कुछ दिन पूर्व बहला फुसलाकर व डराकर अपने बाग में बने ट्यूबवेल के रुम में ले जाकर दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया तथा किसी को कुछ बताने के लिए डराने धमकाने व जान से मारने की धमकी दिया जिसके आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 141/2026 धारा 65(1), 351(3) BNS व 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम मो0 जाहिद उर्फ रुस्तम पुत्र मो0 सफीक निवासी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष पंजीकृत किया गया।

➡ महिला सम्बन्धी अपराध को संज्ञान में लेकर **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार** ने तत्काल टीमों का गठन कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया।

गिरफ्तारी/मठभेड़ का विवरण- दिनांक 05.05.2026 को थानाध्यक्ष गम्भीरपुर अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराह, चौकी प्रभारी गम्भीरपुर उ0नि0 संदीप दूबे मय हमराह संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं क्षेत्रभ्रमण के दौरान सदाफल तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे, सूचना प्राप्त हुयी कि बैराडीह उर्फ गम्भीरपुर में 02 नाबालिग लड़कियों (02 बहनों) के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त मो0 जाहिद उर्फ रुस्तम पुत्र मो0 सफीक निवासी ग्राम गम्भीरपुर उर्फ बैराडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ मोटरसाइकिल से मदारपुर - लहबरिया होते हुए अपने घर की तरफ जाने वाला है। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा जहाँनिया मोड़ पर चेकिंग प्रारम्भ की गयी कि सामने से 01 मोटरसाइकिल आती दिखाई दी जो पुलिस बल को देखकर जल्दीबाजी मे बगल के खडन्ज पर मोटरसाइकिल मोडकर भागने लगा और फिसलकर गिर गया तथा तुरन्त उठकर असलहे से पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की धमकी देते हुए फायर करने लगा। पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के पश्चात आत्मसुरक्षार्थ नियंत्रित फायर किया गया जिसमे बदमाश के दाहिने पैर गोली लगी।

घायल बदमाश की पहचान मो0 जाहिद उर्फ रुस्तम पुत्र मो0 सफीक नि0 बैराडीह उर्फ गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष के रुप में हुयी, जिसे समय करीब 22:05 बजे पुलिस हिरासत में लेकर उपचार हेतु सदर अस्पताल भेजा गया।

उक्त बदमाश के पास से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरमादगी के आधार पर थाना गम्भीपुर पर मु0अ0सं0-144/2026 धारा- 109(1), 151(3) BNS, व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मो0 जाहिद उर्फ रुस्तम पुत्र मो0 सफीक निवासी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 144/2026 धारा- 109(1), 151(3) BNS, व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	141/2026	65(1), 351(3) BNS व 3/4(2) पाक्सो एक्ट	गम्भीरपुर	आजमगढ़
2.	144/2026	109(1), 151(3) BNS, व 3/25/27 आर्म्स एक्ट	गम्भीरपुर	आजमगढ़

बरामदगी- 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल।

मुठभेड़ में सम्मिलत पुलिस बल-

1. SO अमित कुमार त्रिपाठी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 संदीप दूबे थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 प्रवीण यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
4. रि0का0 आलोक मिश्रा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
5. रि0म0का0 स्वाति जायसवाल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
6. हे0कां0 नागेन्द्र नाथ यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
7. कां0 धीरज सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
8. कां0 सोनू यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
9. कां0 उत्तम गौड़ थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।